

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1093/2019 12/20-2/राँची, दिनांक 22.01.2021
50/8/0

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन दुमका जिले में मसानजोर निरीक्षण भवन की सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत हेतु ₹ 58.18 लाख (अन्ठावन लाख अठारह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

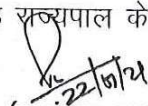
आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुराने भवनों की मरम्मत के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन मसानजोर निरीक्षण भवन की सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत हेतु ₹ 58.18 लाख (अन्ठावन लाख अठारह हजार) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
3. उक्त निरीक्षण भवन के सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत के क्रम में मुख्यतः निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे।
 - (i) Guard wall, दो अदद गेट, Water treatment Tank का मरम्मत कार्य।
 - (ii) Sanitary संबंधी कार्य।
 - (iii) सभी कमरों में False ceiling का कार्य
 - (iv) Decorative lights का कार्य।
 - (v) Septic Tank का कार्य।
 - (vi) दरवाजा एवं खिड़की की मरम्मत।
 - (vii) रंग रोगन का कार्य।
4. कार्य का अव्यवहार विवरणी निम्नवत है :-

Sl. No	Sub Head	Amounts
I	Work	
	(i) Building	2908115.59
	(ii) Water Treatment Plant (Renovation)	237323.71
	(iii) Septic Tank	182541.00
	(iv) Electrical	333034.12
	(v) Sanitary	981821.00
	(vi) Cloth & Bed	226516.00
	(vii) Plantation	19750.00
	Total Rs.	4889101.42
2	Add 1% Labour cess	48891.01
3	Add 5% Unseen Item	244455.07
4	Add GST 12%	586692.17
5	Add 1% CNC	48891.01
	Sub Total Rs.	5818030.69
	Say Rs.	58.18 lakh

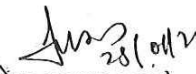
5. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ कर वर्ष 2021-22 में पूर्ण कराया जाएगा।
6. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-
मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-68 भवनों का संधारण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारित होगा।
7. राशि की निकासी दुमका कोषागार से की जायेगी।
8. यह कार्य सिंचाई प्रमण्डल, दुमका द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस कार्य के लिए वर्ष 2020-2021 के बजट में रु० 700.00 लाख राशि का उपबंध है।
11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
13. राशि की निकासी वित्त विभाग का परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
14. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।
15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1093/2019 12/20-21 12/20-21 12/20-21 राँची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1093/2019 12/20-21 12/20-21 12/20-21 राँची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

12/20-21 506/0
पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1093/2019/राँची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

12/20-21 506/0
पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1093/2019/राँची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :- संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

12/20-21 506/0
पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1093/2019/राँची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव